अपशिष्ट टायर प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश

सरोत: बिज़िनेस सटैंडरड

हाल ही में **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** ने भारत में **अपशिष्ट टायर प्रबंधन को** मज़बूत करने के उद्देश्य से **नए पर्यावरण मुआवज़ा (Environmental Compensation-EC) दिशा-निर्देशों को** मंज़ूरी दी है।

- **नये दिशा-निर्देशों के प्रमुख पहलू: जो निर्माता अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility-EPR) लक्ष्यों को** पूरा नहीं कर पाएँगे, उन्हें प्रति किलोग्राम अपशिष्ट टायर पर 8.40 रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
  - **हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) संशोधन नियम, 2022 का** उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा तथा बार-बार उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- **EPR अनुपालन:** टायर निर्माताओं और आयातकों को उत्तरोत्तर अपनी पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) ज़िम्मेदारियों में वृद्धि करनी चाहिये। उन्हें वर्ष 2022-23 में वर्ष 2020-21 में किये गए उत्पादन/आयात के 35% से शुरू करते हुए, वर्ष 2023-24 में 70% तथा वर्ष 2024-25 तक 100% तक पुनर्चक्रण का उत्तरदायित्व पूरा करना होगा।
  - नई इकाइयों को इस कार्यक्रम में **शामिल होने के तीसरे वर्ष में 100% उत्तरदायित्व का अनुपालन करना होगा।**
  - अपशिष्ट टायर आयातकों को पिछले वर्ष आयात किये गए टायरों का 100% प्रबंधन करना होगा। **पायरोलिसिस तेल** या चार (char) उत्पादन हेतु आयात स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है।
- अपशिष्ट टायरों के पुनर्चक्रण का उद्देश्य **लैंडफिल के उपयोग को कम करना तथा टायरों को बहुमूल्य संसाधनों** जैसे- पुनः प्राप्त रबर (reclaimed rubber), क्रम्ब रबर (crumb rubber) और पुनः प्राप्त कार्बन ब्लैक (recovered carbon black) में परिवर्तित करना है।
- EPR, **उत्पादक की अपने उत्पाद के प्रभावों के प्रति पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर ध्यान केंद्रित करता है।**

और पढ़ें: अपशिष्ट प्रबंधन पहल

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-guidelines-for-waste-tyre-management